अमित रावल, न्यायाधीश के समक्ष

जगदीश सिंह राणा - याचिकाकर्ता
बनाम
वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव और अन्य - उत्तरदाताओं

2013 का सीडब्ल्यूपी नंबर ***25576***
30 अप्रैल ***2015***

हरियाणा सजा और अपील नियम, ***1987*** - वादी के पक्ष में सिविल कोर्ट के समक्ष अधिकारी/याचिकाकर्ता द्वारा दी गई रियायत - सिविल सूट और अपील खारिज - विभागीय जांच में याचिकाकर्ता को बरी कर दिया गया लेकिन असहमति नोट के आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया, असहमति नोट को सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना गया और रद्द किया गया- रिट याचिका की अनुमति दी गई।

अभिनिर्नित किया गया कि दिनांक *8.6.2012* का *"*असहमति नोट*"* *(*अनुलग्नक पी-*15)* भी सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन विभाग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश *6* नियम *2* और सीपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया से अनभिज्ञ है कि न्यायालयों के फैसले और डिक्री को कैसे और किस तरीके से चुनौती दी जानी है या किसी भी अंकगणितीय गलती के मामले में संशोधन की मांग की जानी है।

(पैरा 15)

आगे अभिनिर्नित किया गया कि सिविल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के लिए अपील के आधार पर एक विशिष्ट आधार लिया गया है, जिसके तहत सिविल कोर्ट ने सहायक जिला अटॉर्नी की कथित रियायत पर ध्यान दिया था। निचली अपीलीय अदालत ने उद्योग विभाग हरियाणा द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया। यहां तक कि नियमित द्वितीय अपील को भी इस न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

(पैरा16)

आगे अभिनिर्नित किया गया कि सहमति नोट में कोई कारण दर्ज नहीं है कि जांच अधिकारी ने कानून के अनुसार कैसे कार्य नहीं किया। चिंता की बात यह है कि जांच अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि एक सेवानिवृत्त एचसीएस अधिकारी था और जिन अधिकारियों ने आरोप पत्र दिया और असहमति नोट दिया, वे न्यायिक विभाग के प्रशासन के कार्यालय से हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य किसी भी स्तर की जिम्मेदारी के साथ पूरा नहीं किया है। अधिकारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लीगल रिमेंबरेंसर के कार्यालय से कानूनी राय लेना था।

(पैरा 17)

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एल आर शर्मा।

हितेश पंडित. अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा, एच. एन. मेहतानी, प्रतिवादी संख्या *3* के वकील।

<u>अमित रावल, न्यायाधीश, *(मौखिक)*</u>

(1) वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 10.7.2013 के आदेश को, जो कथित तौर पर याचिकाकर्ता को 22.08.2013 अनुबंध पी-18 और असहमति नोट जो दिनांक 8.6.2012 (अनुलग्नक पी-15) को प्राप्त हुआ था जिसके तहत सजा दी गई थी, को चुनौती है । याचिकाकर्ता की एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए परिणामी राहत के साथ घोषणा का दावा करने वाले वादी द्वारा दायर एक मुकदमे के अनुसरण में निर्णय और डिक्री दिनांक 7.12.2005 द्वारा आंशिक रूप से फैसला सुनाया गया था। निर्णय का ऑपरेटिव भाग नीचे दिया गया है: -

“"प्रार्थना के खंड क्रमांक 1 से 3 पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए नोटिस दिनांक 4.11.97 के अवैध होने के संबंध में घोषणा की मांग करना है, इस आशय की घोषणा की मांग करने वाली प्रार्थना के खंड को अस्वीकार कर

दिया,

वादी आंशिक रूप से संपूर्ण भूमि के मालिक हैं अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि वादी अनुसूची संख्या 18 के तहत दायरा क्षेत्र के मालिक हैं, लेकिन उन्हें पीले हिस्से का कब्ज़ा मालिक नहीं माना जा सकता:, खंड (सी) की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला है जिसके लिए वे 22/- प्रति वर्ग गज के भुगतान पर वादी को अनधिकृत क्षेत्र आवंटित करने के लिए इच्छुक हैं और यहां तक कि बहस के दौरान भी प्रतिवादियों के लिए जीपी ने स्वीकार किया कि प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और प्रतिवादी 22/- प्रति वर्ग गजवादी का क्षेत्र आवंटित करने के इच्छुक है। जहां तक प्रार्थना संबद्ध में खंड (डी) का सवाल है, अंक संख्या 3 पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना प्रतिवादियों के विरुद्ध उन्हें वादी के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया, निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की अनुमति दी गई। तथापि प्रतिवादी वादी को बेदखल करने के लिए आगे बढ़ सकते है यदि वादी 22/- प्रति वर्ग गज की दर से लागत का भुगतान नहीं करता है तो अनधिकृत क्षेत्र अतिक्रमित क्षेत्र का सीमांकन एवं गणना उपरांत तीन महीने की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए और उसके बाद एक महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। यह कि बेदखली केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तदनुसार, मुकदमे का आंशिक रूप से फैसला सुनाया जाता है और आंशिक रूप से लागत सहित खारिज कर दिया जाता है।"

(3) उपरोक्त आदेश दलीलों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया था। वादपत्र के पैराग्राफ 10 का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें औद्योगिक विभाग, पानीपत ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वादी को 22/- प्रति वर्ग गज की दर से भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव दिया गया था, इसके बावजूद वादी ने ऐसा नहीं किया। तदनुसार निष्कासन की कार्यवाही शुरू की गई।

"वाद पत्र का पैरा 10 गलत है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, विक्रय पत्र के अनुसार, 100x 41 वर्ग फुट यानी 4100 वर्ग फुट आवृत और 8246 वर्ग फुट खुला क्षेत्र यानी कुल 12346 वर्ग फुट क्षेत्र मेसर्स अनिल कुमार जय प्रकाश को बेच दिया गया था। अस्थायी सीमांकन किया गया और उसी के अनुसार वादी को 32726 वर्ग फुट के क्षेत्र पर

घिरा हुआ है। यद्यपि वादी उस क्षेत्र पर अपने अवैध कब्जे को स्वीकार कर रहा है, और उसे खरीदने के लिए तैयार है, फिर भी एकमात्र विवाद उस दर के संबंध में बना हुआ है जिस पर प्रतिवादी द्वारा वादी को यह पेशकश की जा रही थी। चूंकि वादी असफल रहा क्षेत्र की राशि जमा करने के लिए, आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक दर का प्रश्न था, चूंकि वादी 22/- की नाममात्र दर को स्वीकार करने में विफल रहा और राशि जमा नहीं की, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है। वादी को बेदखल करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई।"

(4) यहां तक कि प्रतिवादी के गवाहों यानी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, पानीपत इंडस्ट्रीज ने मुख्य परीक्षा के माध्यम से प्रस्तुत एक हलफनामे में कहा कि सरकार ने अधिसूचना दिनांक 20.8.1990 के माध्यम से 22 प्रति वर्ग गज अतिरिक्त भूमि की बिक्री का प्रस्ताव रखा है। हलफनामे का प्रासंगिक पैराग्राफ यहां नीचे दिया गया है: -

"सरकार ने दिनांक 20 अगस्त 1990 के संशोधन द्वारा अतिरिक्त भूमि को 22/- प्रति वर्ग गज की दर से बेचने का प्रस्ताव रखा।"

(5) एक विशिष्ट प्रश्न पर जिरह के दौरान भी महाप्रबंधक ने निम्नानुसार कहा: -

> "दिनांक 20.8.1990 की अधिसूचना के बाद, विभाग ने 32726 वर्ग फुट की भूमि को 22/- प्रति वर्ग गज की दर से याचिकाकर्ता फर्म को बेचने और हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। उक्त पत्र के बाद, वादी फर्म विभाग से लगातार पत्राचार करती रही । वादी ने अपने पत्र में स्वेच्छा से हमारे प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं किया, लेकिन वादी फर्म ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया है, बल्कि वादी किसी न किसी *बहाने से मामले को टालता रहा।"

(6) निर्णय में दर्ज कथित रियायत के आधार पर याचिकाकर्ता को दिनांक 17.3.2010 (अनुलग्नक पी-12) का आरोप पत्र दिया गया। आरोप पत्र की सामग्री को देखने पर पता चलता है कि तत्कालीन वित्तीय आयुक्त-सह-प्रधान सचिव द्वारा एक राय बनाई गई थी। हरियाणा सरकार, न्यायिक प्रशासन विभाग ने कहा कि याचिकाकर्ता-जगदीश सिंह राणा,

सहायक जिला अटॉर्नी गवाह के रूप में उपस्थित हुए और जिरह में कुछ बयान दिए

और दिनांक 7.12.2005 के आदेश में संशोधन के लिए कोई आवेदन नहीं दिया।

(7) श्री एल.आर. शर्मा याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि आरोप पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता ने विस्तृत जवाब दाखिल किया लेकिन अधिकारियों ने इसे संतोषजनक नहीं पाया, इसलिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तथापि जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड पर लाए गए गवाहों के आधार पर याचिकाकर्ता को आरोपों से मुक्त कर दिया। दिनांक 28.6.2011 की जांच रिपोर्ट की प्रति (अनुलग्नक पी-14) है। दंड प्राधिकारी-वित्तीय आयोग-सह-प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, न्यायिक विभाग ने 8.6.2012 को जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर "असहमति नोट" दे दिया। इसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 10.7.2013 (अनुलग्नक पी-18) द्वारा संचयी प्रभाव से एक वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई है।

(8) उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 7.12.2005 के फैसले और डिक्री को निचली अपीलीय अदालत में चुनौती दी गई थी। अपील के आधारों की प्रतिलिपि अनुबंध पी-6 के रूप में संलग्न की गई है और निर्णय और डिक्री में दर्ज कथित रियायत के लिए एक विशिष्ट आधार लिया गया है। प्रासंगिक ग्राउंड नंबर 1 निम्नानुसार निकाला गया है: -

> "वादी ने कब्जे के संबंध में विभिन्न दस्तावेज पेश किए हैं। जो कब्जा अवैध है; वादी ने प्रतिकूल कब्जे के घटक को साबित नहीं किया है जैसा कि आरोप लगाया गया है। वादी यह साबित करने में विफल रहे कि नोटिस ने अवैध कब्जे या अवैध अतिक्रमण को कैसे हटाया, .माननीय परीक्षण कोर्ट ने फाइल पर रखे दस्तावेजों के साथ मुद्दे का फैसला करने में गलती की। यह आरोप भी गलत है कि राज्य के विद्वान पी.पी.ने कभी भी मामले को कथित रूप से स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा, मुकदमे में कथित तथ्यों को साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना है, केवल स्वीकारोक्ति कभी भी वादी के पक्ष में मुकदमे का फैसला करने का आधार नहीं हो सकती है।"

(9) उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपने कर्तव्यों का पालन पूरी

लगन से कर रहा था और उसे किसी भी बयान का सामना नहीं करना पड़ा, सिविल जज द्वारा तो कोई बयान दर्ज नहीं किया गया।

(10) श्री हितेश पंडित, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा का कहना है कि दिनांक 8.6.2012 का "असहमति नोट" (अनुलग्नक पी-15) ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुरूप है, जिस पर जांच अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करते हुए, ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता को दी गई या लगाई गई सजा कानूनी और उचित है और हरियाणा सजा और अपील नियम, 1987 के अनुरूप है।

(11) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और पेपर बुक का मूल्यांकन किया है।

(12) निकाले गए आरोप पत्र (सुप्रा) में कोई संदेह नहीं है कि आरोप पत्र का मसौदा तैयार करते समय अधिकारी को सिविल मुकदमों में किए जा रहे मुकदमे की पेचीदगियों के बारे में पता नहीं था।

(13) जो भी हो, तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता गवाह के रूप में उपस्थित नहीं हुआ और न ही आदेश में संशोधन की मांग करने का अवसर मिला और विस्तृत उत्तर देने के बावजूद एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच अधिकारी, विभाग के गवाहों और साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बचाव गवाहों की जांच करने के बाद एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए थे और तदनुसार याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया।

(14) जांच अधिकारी की रिपोर्ट का प्रासंगिक भाग यहां दिया गया है:

"तर्कों को पढ़ने के बाद यह बहुत स्पष्ट 'विवादास्पद प्रश्न' है, यह तय किया जाना है कि क्या माननीय सिविल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) श्री संदीप सिंह का दिनांक 7.12.2005 का निर्णय केवल श्री जगदीश सिंह राणा एडीए द्वारा तर्कों में दी गई रियायत के तथ्य पर आधारित है या यह अन्य कारकों यानी फ़ाइल पर लाए गए दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर है। निर्णय का अंतिम पैरा नीचे प्रस्तुत किया गया है: -

"मुद्दा नंबर 6 राहत" शीर्षक के तहत फैसले का प्रासंगिक पैरा कहता है:-

खंड (सी) अनुमति के योग्य है क्योंकि यह प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला

है कि वे वादी को 22/- प्रति वर्ग गज के भुगतान पर अनधिकृत क्षेत्र आवंटित करने के इच्छुक हैं और यहां तक कि प्रतिवादियों के लिए विद्वान जीपी की बहस के

दौरान भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। प्रार्थना की अनुमति दी जा सकती है और प्रतिवादी वादी को 22/- प्रति वर्ग गज की दर से क्षेत्र आवंटित करने के इच्छुक होंगे। जहां तक प्रार्थना के खंड (डी) का संबंध है, मुद्दे संख्या 3 पर मेरे निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा की प्रार्थना, उन्हें शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकना, वादी की स्थिति में वादी को अनधिकृत क्षेत्र से बेदखल करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सहमत महीनों की अवधि के भीतर अतिक्रमित क्षेत्र के सीमांकन और गणना के बाद 22/- प्रति वर्ग गज की दर से लागत का भुगतान न करें और उसके बाद एक महीने के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन बेदखली केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। तदनुसार, मुकदमे का आंशिक रूप से फैसला सुनाया जाता है और पार्टी को खर्चे सहित खारिज कर दिया जाता है।

पैरा के अवलोकन और उसके पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल उन तर्कों पर आधारित नहीं है जिनके द्वारा श्री. जगदीश राणा एडीए ने माना है कि यदि वह मांग राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो जाता है, तो सरकार यह भूमि वादी को देने के लिए अभी भी सहमत है। माननीय सिविल जज ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, यह प्रतिवादियों का स्वीकृत मामला है जिसे वे आवंटित करने के इच्छुक थे....."अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री ए.के. जैन की अपील अदालत ने दिनांक 31.7.2007 के फैसले को दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर आधार बनाया है। दिनांक 31.7.2007 के फैसले से यह स्पष्ट है कि माननीय ट्रायल कोर्ट (सीनियर डिवीजन) का फैसला केवल श्री जगदीश सिंह राणा, सहायक जिला अटॉर्नी द्वारा स्वीकार की गई बात का आधार नहीं था। दिनांक 7.12.2005 का निर्णय इसमें समाहित होकर अंतिम हो गया है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जहां तक तथ्यों को छुपाने का सवाल है, यह स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से श्री जगदीश सिंह राणा, एडीए द्वारा कहा गया है कि मामले को अलग-अलग समय पर दो जिला

अटॉर्नी द्वारा निपटाया गया था और दोनों कानून अधिकारियों के बीच मतभेद हमेशा मौजूद रह सकते हैं। अपील के आधार, विभाग की निष्क्रियता जैसे अन्य संबंधित मुद्दों पर कोई टिप्पणी लिखने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि वह पूछताछ के दायरे में नहीं लिखा गया है। माननीय सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पानीपत के दिनांक 7.12.2005 के

फैसले को पढ़ने से यह है बहुत स्पष्ट है कि निर्णय प्रतिवादियों के स्वीकृत मामले और श्री जगदीश राणा सहायक जिला अटार्नी जो किसी भी मामले में प्रतिवादियों के स्वीकृत मामले के विपरीत नहीं हो सकता, के स्वीकृत तर्कों पर आधारित है। ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए श्री जगदीश सिंह राणा के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वह मामला साबित नहीं हुआ।

निष्कर्ष: श्री जगदीश सिंह राणा, एडीए, कार्यालय जिला अटार्नी, पानीपत के विरुद्ध आरोप साबित नहीं हुए ।"

(15) "असहमति नोट" दिनांक 8.6.2012 (अनुलग्नक पी-15) भी सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन विभाग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 और सीपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत निहित प्रक्रिया से अनभिज्ञ है कि कैसे और किस तरीके से न्यायालयों के फैसले और डिक्री को चुनौती दी जानी है या किसी भी अंकगणितीय गलती के मामले में संशोधन की मांग की जानी है।

(16) सिविल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों के लिए अपील के आधार में एक विशिष्ट आधार लिया गया है, जिसके तहत सिविल कोर्ट ने सहायक जिला अटॉर्नी की कथित रियायत पर ध्यान दिया था। निचली अपीलीय अदालत ने उद्योग विभाग, हरियाणा द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया, यहां तक कि नियमित दूसरी अपील को भी इस अदालत ने खारिज कर दिया है।

(17) असहमति नोट में कोई कारण दर्ज नहीं है कि जांच अधिकारी ने कानून के अनुसार कैसे कार्य नहीं किया। चिंता की बात यह है कि जांच अधिकारी कोई और नहीं, बल्कि एक सेवानिवृत्त एचसीएस अधिकारी था और जिन अधिकारियों ने आरोप पत्र दिया और असहमति नोट दिया, वे न्यायिक विभाग के प्रशासन के कार्यालय से हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन जिम्मेदारी के साथ नहीं किया है। अधिकारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका आरोप पत्र दाखिल करने से पहले लीगल रिमेंबरेंसर

के कार्यालय से कानूनी राय लेना था।

(18) उपरोक्त आरोप पत्र अत्यंत बेतुके ढंग से तैयार किया गया है और मेरी राय में यह घृणास्पद कृत्य है।

(19) ऊपर जो देखा गया है, उसके मद्देनजर, आक्षेपित आदेश दिनांक 10.7.2013 (अनुलग्नक पी-18) और असहमति नोट दिनांक 8.6.2012 (अनुलग्नक पी-15) को रद्द किया जाता है।

(20) तदनुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

एस. गुप्ता

<u>अस्वीकरण :</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा